न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 05/2023 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2023/07

1. ईमीलाल पुत्र रामकरण जाट निवासी 185 आर.डी. भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल खोड़ाला तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।
2. हरिराम पुत्र ईमीलाल जाट निवासी 185 आर.डी. भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल खोड़ाला तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर।
2. धनपत पुत्र ओमप्रकाश जाट निवासी खोड़ाला तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।
3. नरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाट निवासी खोड़ाला तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।
4. प्रेमचंद पुत्र ओमप्रकाश जाट निवासी खोड़ाला तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।

— रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः श्री जगदीश शर्मा — अभिभाषक अपीलांट
श्री सुभाष सहू — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 3

निर्णय

दिनांक 14.02.2023

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के आदेश दिनांक 21.12.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– अपीलांट्स की कृषि भूमि खसरा नंबर 1053/791 तथा रेस्पोडेन्ट्स की कृषि भूमि ग्राम खोड़ाला के खसरा नंबर 801/1 में तादादी 6.0696 हैक्टेयर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

चिपती हुई भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के समक्ष भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111, 128 के तहत पत्थरगढ़ी के प्रार्थना–पत्र पेश किया। रेस्पोडेन्ट्स के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 21.12.2022 पारित कर तहसीलदार भू.अ. लूनकरणसर को पत्थरगढ़ी करने के आदेश पारित कर दिये। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2022 से व्यथित होकर अपीलांटस ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स श्री जगदीश शर्मा ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की कृषि भूमि चिपती हुई है। रेस्पोडेन्ट्स ने मई 2022 में अपीलांट्स की अनुपस्थिति में पैमाईश करवाई थी। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स ने धारा 111, 125 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पत्थरगढ़ी के आदेश प्राप्त कर लिये। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स को बिना सूने इकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना माईण्ड एप्लाई किये और बिना मौका देखे मध्य फसल ही पत्थरगढ़ी के आदेश दे दिये, जो निरस्त योग्य है। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नक्शें से हटकर अपीलांट्स की भूमि मे की जा रही है। विवादित स्थान की पैमाईश तथा पत्थरगढ़ी सेटलमेंट की टीम गठित कर नक्शा के अनुसार की जानी चाहिए थी किन्तु इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलांट्स ने अधिनस्थ न्यायालय में एक रिव्यू पिटीशन पेश की, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने बिना पढ़े नजरअंदाज करते हुए खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट्स को पूर्व मे जारी नोटिस तामिल दिनांक 18.10.2022 पश्चात् दो माह का समय दिये जाने के बावजूद अपीलांट्स उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण अपीलांट्स के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा दिनांक 18.05.2022 को अपने खेत का सीमाज्ञान पड़ोसियों व पुलिस की मौजूदगी में करवाया लेकिन सही सीमायें चिन्हित नही होने के कारण विवाद बढ़ गया। अपीलांट्स ने रेस्पोडेन्ट्स की भूमि के उत्तर दिशा की भूमि पर कब्जा कर रखा है। पत्थरगढ़ी के अभाव में रेस्पोडेन्ट्स की भूमि पर कब्जा हो रहा हैं। अतः पत्थरगढ़ी आवश्यक हैं। विवादित स्थान की दो बार पैमाईश हो गई है। उक्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पैमाईश की कार्यवाही अपीलांट्स के सामने की गई। अतः अपील अपीलांट्स निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

4– हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अपीलांट्स तथा रेस्पोडेन्ट्स की कृषि भूमि आपस में चिपती हुई भूमि है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित करने के पश्चात् अपीलांट्स को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2022 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय दो माह के भीतर दोनो पक्षकारों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के संबंध में पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर